

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक: प.11(39)गृह-12/कारा/2001पार्ट

जयपुर, दिनांक: 14 JAN 2017

—: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.10.2015 के द्वारा केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर के लिए मनोनीत गैर सरकारी दर्शक श्री तेजेन्द्र पाल सिंह उर्फ टिम्मा के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः राजस्थान कारागार नियम के पार्ट-23 के नियम 4 (बी) के प्रावधानांतर्गत केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर के लिए मनोनीत गैर सरकारी दर्शक श्री तेजेन्द्र पाल सिंह उर्फ टिम्मा के मनोनयन आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

श्री
(के.के. शर्मा)

शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कारागार मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले में स्थित केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर के लिए गैर सरकारी दर्शक के मनोनयन नये सिरे से किये जाने हेतु प्रस्ताव अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर।
7. श्री तेजेन्द्र पाल सिंह उर्फ टिम्मा, मार्फत जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
8. रक्षित पत्रावली।

श्री
शासन उप सचिव,